Email: cswriavikanagar@yahoo.com
दूरभाष : 01437–220177 फैक्स नं. 91–01437–220163
भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान
अविकानगर, तह0 मालपुरा, जिला–टोंक (राजस्थान) – 304501
ICAR-Central Sheep & Wool Research Institute
Avikanagar, Teh.Malpura, Dist.Tonk (Rajasthan) – 304501

F.No.6(383)SP/2017 Dated:16-01-2020

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-PROCUREMENT

Online Bids are invited from the interested firms under two bid system for **Job contract work of Rabbit Unit (Sector no.9) and security, maintenance and cleaning related activities of Rabbit at the Rabbit Unit** at **ICAR-CENTRAL SHEEP & WOOL RESEARCH INSTITUTE AVIKANAGAR, MALPURA ,DISTT. TONK , RAJASTHAN , PIN 304501 .**

Manual bids shall not be entertained.

Tender documents may be downloaded from e-Procurement website of CPP https://eprocure.gov.in/ and www.cswri.res.in as per the schedule as give in CRITICAL DATE SHEET as under:

CRITICAL DATE SHEET

Tender No.	6(383)SP/2017
Date and Time for issue/Publishing	16-01-2020, 6.00 PM
Document Download/Sale start date and time	17-01-2020, 3.00 PM
Prebid Meeting of the Contractors	-
Bid Submission Start Date and Time	17-01-2020, 3.00 PM
Bid Submission End Date and Time	10-02-2020, 3.00 PM
Date and Time for Opening of Bids	11-02-2020, 3.00 PM
Tender fee and Earnest money Security money	Tender fee – Rs.500/- Earnest money – Rs.5000/- Security money – 10 % of contract amount
Bank detail	ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable State Bank of India, Branch – Malpura Tonk Rajasthan
Address for Communication	Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501

Administrative Officer

INSTRUCTIONS FOR ONLINE BID SUBMISSION

1- The tender form/bidder documents may be downloaded from website: https://eprocure.gov.in. Online submission of Bids through Central Public Procurement Portal (https://eprocure.gov.in) is mandatory. **Manual/Offline bids shall not be accepted under any circumstances.**

2- Tenders/bidders are requested to visit website https://eprocure.gov.in regularly. Any changes/modifications in tender enquiry will be intimated by corrigendum through this website only.

3- In case, any holiday is declared by the Government on the day of opening, the tenders will be opened on the next working day at the same time. The Institute reserves the right to accept or reject any or all the tenders.

4- The interested Firms are required to deposit (in original) **Tender Fee of Rs.500/-** (Non-refundable) in the shape of Demand Draft prepared in favour of **ICAR UNIT -CSWRI ,Avikanagar payable at SBI, MALPURA may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501** on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

5- The interested Firms are required to deposit (in original) and Earnest Money Deposit (EMD) of the amount mentioned against item in the form of Demand Draft/FDR from any of the Nationalised Bank **in favour of ICAR UNIT -CSWRI, Avikanagar payable at SBI, MALPURA** may be addressed to the Administrative Officer, C.S.W.R.I., Avikanagar,Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.

6- The firm should send the Original brochures of the product and may be addressed to the **Administrative Officer, CSWRI, Avikanagar, Malpura, Distt. Tonk, Rajasthan Pin- 304501 on or before bid opening date and time as mentioned in the Critical Date Sheet.**

7- Bidders need not be come at the time of Technical as well as financial bid opening at ICAR-CSWRI, Avikanagar. They can view live bid opening after login on CPP e-Procurement Portal at their remote and, If bidder wants to join bid opening event at ICAR-CSWRI, Avikanagar then they have to come with bid acknowledge slip that generates after successfully submission of online bid.

The Firms are also required to upload scanned copies of the following documents:

1. Scanned copy of Firm Registration certificate
2. Scanned copy of Pan card
3. Scanned copy of ESI and EPF Registration
4. Scanned copy of D.D. of Tender Fee
5. Scanned copy of D.D. of E.M.D.
6. Scanned copy of acceptance letter
7. Any additional required documents mentioned in the Terms and conditions of the Tender

All necessary documents in support of the details for S.No. 1 to 7 must accompany the technical bid. The bid is liable to be rejected in case documents are not uploaded in the technical bid on CPP Portal, documents are incomplete or in case any certification/registration has already expired but is yet to be renewed. Only essential and necessary valid documents are to be uploaded in the technical bid. Please avoid uploading extraneous and irrelevant documents which unnecessary cause confusion.

Administrative Officer

<u>स्वीकारोक्ति पत्र</u>

क्र.सं.	विवरण	खरगोशों की अनुमानित संख्या
1.	**संस्थान के सेक्टर नं.9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध**	400

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैनें निविदा में दर्शायी गई सभी नियम व शर्ते भली–भाँति पढ़ली है तथा मुझे पूर्णरूप से स्वीकार है। मैं उपरोक्त दर्शायी गई दरों पर खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाग व सेक्टर की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य को वार्षिक अनुबन्ध/ठेके के आधार पर सम्पन्न करवाने के क्रम में अनुबंध /जॉब कोन्ट्रेक्ट पर करने के लिये सहमत हूँ। साथ ही मैं यह वचन देता हूँ कि मैं प्रभारी, खरगोश इकाई या उनके प्रतिनिधि से समय–समय पर सम्पर्क करके उनके निर्देशानुसार अनुबन्ध कार्य करता रहूँगा। मैं अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा और संस्थान के अधिकारियों/कर्मचारियों से विनम्रता पूर्वक व्यवहार रखूँगा। यदि मेरे या प्रतिनिधियों द्वारा अनुबन्ध कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान/हस्तक्षेप करने/या उनके द्वारा बताये जाने वाले कार्य को करने के लिये मना आदि करता हूँ तो मेरे द्वारा जमा करवाई जाने वाली अमानत/जमानत राशि को जब्त करके अनुबन्ध को निरस्त किया जा सकता हैं जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। साथ ही मैं यह भी वचन देता हूँ कि मुझें व मेरे प्रतिनिधि को उपरोक्त निविदा प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यो का पूर्ण ज्ञान है।

मै यह भी वचन देता हूँ कि मैं भारत/राजस्थान सरकार के प्रचलित सभी श्रमिक नियमों का पूर्ण रूप से पालन करूँगा तथा मेरे द्वारा लगाये गये सभी प्रतिनिधियों की मजदूरी का भुगतान समय–समय पर निर्धारित दैनिक मजदूरी की दर से करूँगा।

यह मेरे/हमारे संज्ञान में भली–भाँति से है कि आपके द्वारा उपरोक्त कार्य हेतु प्राप्त निविदाओं में आप न्यूनतम अथवा किसी अन्य निविदाओं को स्वीकार करने हेतु बाध्य नहीं है एवं सक्षम अधिकारी द्वारा लिया गया निर्णय मुझे/हमें मान्य हैं। अनुबन्ध की अवधि समाप्त होने के उपरान्त मेरा व मेरे द्वारा लगाये गये प्रतिनिधियों का इस संस्थान से जॉब कोन्ट्रेक्ट के अलावा कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा और न ही मै किसी प्रकार का संस्थान के खिलाफ कोई कार्यवाही करूँगा।

दिनांक ———————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील

पूरा पता

टेलीफोन/मोबाईल नं.

बैंक खाता नं.

खरगोश ईकाई पर खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य की नियम व शर्ते –

1. खरगोश ईकाई पर उपलब्ध खरगोशों की सख्ंया 400 है जो कि संस्थान की आवश्यकता के अनुसार कम या ज्यादा हो सकती है।
2. अनुबन्ध की अवधि के दौरान अनुबन्धकर्ता को खरगोशों की दिन–रात देखभाल करनी होगी।
3. खरगोश ईकाई के आस–पास आवारा जानवर नहीं होने चाहिए तथा ईकाई पर खरगोशों के अलावा अन्य कोई निजी जानवर नहीं रख सकेगें।
4. खरगोशों को सेक्टर पर दाना पानी एवं अन्य कार्य प्रभारी, खरगोश ईकाई के दिशा निर्देशानुसार करना होगा। दाना संस्थान द्वारा उपलब्ध करवाया जावेगा।
5. खरगोशों की देखभाल एवं रख–रखाव के अतिरिक्त निम्नलिखित कार्य भी करना होगा–
   (क) खरगोशों को टीका लगवाना, दवाई पिलाना, ड्रेसिंग करना व अन्य ईलाज के समय खरगोशों को पकड़ने में मदद करना, बिमार खरगोशों की देखभाल करना।
   (ख) खरगोंशों के प्रजनन कार्य के दौरान प्रसूता खरगोश की देख–रेख, खरगोश के बच्चों को दूध पिलाना एवं दाना–पानी / स्वच्छता एवं अन्य कार्यो की पूर्ण जिम्मेदारी से करने होंगे।
   (ग) मरे हुये खरगोशों की सूचना तुरन्त प्रभारी, खरगोश ईकाई को देनी होगी तथा उनके निर्देशों के अनुसार मरे हुयें खरगोशों को उठाकर पोस्टमार्टम (चीरफाड़) कार्य के लिये संस्थान की जीप या स्वयं के वाहन द्वारा पशु स्वास्थ्य विभाग को भिजवाना होगा। वध / स्लाटर के लिये भी आवश्यकतानुसार खरगोशों को मांस अनुभाग में पहुँचाना होगा।
   (घ) गर्मियों में सेड़ के चारों ओर लगी टाटियों पर अन्दर व बाहर दिन में चार–पांच बार पानी छिड़कना होगा। खरगोश ईकाई पर दाना, दाना अनुभाग / फीड यूनिट से लाकर उतरवाना होगा।
   (ड) शेड़ के अन्दर नियमितरूप से पिंजरों की सफाई करनी होगी तथा चूना छिड़कना / पिंजरों को बदलना होगा तथा पिंजरों के अन्दर से बेकार चारे को निकालकर जलाना होगा। शेड़ के अन्दर की मिट्‌टी को हर 6 माह में आधा फुट गहराई तक बदलना होगा।
   (च) अनुबन्धकर्ता को खरगोश शाला के अन्दर की तरफ की साफ–सफाई और बाहर लगे पेड़ पोधों की देखभाल करनी होगी। साथ ही खरगोशों को खिलाने हेतु हरा चारा काटकर लाना होगा और प्रभारी, के निर्देशानुसार खिलाना होगा।
   (छ) खरगोश ईकाई के अन्तर्गत सभी खरगोशों की पूर्ण सुरक्षा की जिम्मेदारी स्वयं अनुबन्धकर्ता की होगी।
6. अनुबन्ध की अवधि में सम्बन्धित सैक्टर के पत्र / डाक आदि कार्यालय मे पहुचाने के व्यवस्था भी अनुबन्धकर्ता को करनी होगी।
7. खरगोश इकाई के दोनो और के क्षेत्र में (जो कि करीब 130+150 =280 है0 मी. के लगभग है)मौसमी चारे की बिजाई, निराई, गुड़ाई, सिचाई,कटाई तथा चारा भडारण का कार्य भी इसमें सम्मिलित है।

अनुबन्धकर्ता द्वारा उपरोक्त द ार्ये अनुसार कार्य नहीं करने पर निम्नानुसार कटौतियाँ की जावेगीः–

1. सेक्टर व सेक्टर पर उपलब्ध सभी बाड़ों की प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार प्रतिदिन सफाई नहीं करने पर 400 / – रूपये प्रतिदिन के हिसाब से कटौती की जावेगी।
2. यदि अनुबन्धकर्ता अथवा उनका श्रमिक / प्रतिनिधि बिना पूर्व अनुमति के अपनी मर्जी से खरगोश को बेच देता है अथवा मांस उपयोग के लिय वध कर देता है तो उसका अनुबन्ध निरस्त करते हुये खरगोश की किताबी कीमत का दस गुना हर्जाना वसूल किया जावेगा।
3. प्रभारी, सेक्टर के निर्देशानुसार शेड की खुदाई नहीं की जाती है तो संबंधित प्रभारी शेड की खुदाई करवाएगा तथा खुदाई कार्य में लगने वाला खर्च अनुबन्धकर्ता से वसूला जावेगा।

अनुबंध की सामान्य नियम व शर्ते

1. अनुबन्ध कार्य आदेश जारी होने की तिथि से एक वर्ष के लिए होगा। अनुबन्धकर्ता का कार्य संतोषजनक रहने की स्थिति में आपसी सहमति से संबंधित प्रभारी की अनुशंषा के आधार पर अनुबन्ध को वर्तमान दर व नियम शर्तो पर एक से दो वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
2. अनुबन्ध कार्य में लगने वाले श्रमिको की आयु 18 वर्ष से कम तथा 60 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा वे पूर्णरूपेण स्वस्थ होने चाहिये ।
3. खरगोशों में लगाये गये श्रमिक कम से कम बदले जावेगें। साथ ही चरवाहा बदलने से पूर्व सेक्टर प्रभारी / प्रतिनिधि से अनुमति लेनी होगी। हर रोज बदला हुआ श्रमिक स्वीकार्य नहीं होगा।
4. सैक्टर पर स्थित खरगोशों के साथ कोई अन्य निजी जानवर नही रख सकेंगे ।
5. अनुबन्ध की अवधि में अनुबन्धकर्ता अगर प्रक्षेत्र क्षेत्र / सेक्टर के आस पास किसी संदिग्ध व्यक्ति को देखता है तो उसकी सूचना संबंधित सेक्टर प्रभारी व प्रभारी, सुरक्षा अनुभाग को देनी होगी।
6. अनुबन्धकर्ता को प्राकृतिक आपदा जैसे–आंधी, तूफान, अत्यधिक सर्दी, अधिक वर्षा, खराब मौसम होने अथवा सैक्टर से सम्बन्धित आवश्यक कार्य होने की स्थिति में प्रभारी, सेक्टर / प्रतिनिधि के आदेशानुसार खरगोशों को रखना होगा।

7. किसी भी खरगोश के बीमार होते ही उसकी सूचना तत्काल प्रभारी, सेक्टर/प्रतिनिधि को देनी होगी।
8. क्षैत्र में लगाये गये पेंड़ पौधो के थाले बनाकर पानी पिलाना व देख–रेख भी शामिल है।
9. अनुबन्धकर्ता एवं उनके प्रतिनिधियों द्वारा संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों के साथ शिष्टता का व्यवहार करना होगा।
10. सेक्टर से सम्बन्धित सभी कार्य प्रभारी सेक्टर/उनके प्रतिनिधि के निर्देशानुसार करना होगा ।
11. श्रमिकों के बारे में निर्धारित रजिस्टर/मस्टरोल आदि का रख–रखाव स्वयं ठेकेदार को करना होगा तथा लगाये गये श्रमिकों का GPF/PF/ESI इत्यादि यदि नियमानुसार देय होता है तो ठेकेदार द्वारा स्वयं के देय बिल राशि से देना होगा। संस्थान द्वारा इस विषय में कोई भी अलग से भुगतान का दावा स्वीकार नही करेगा। इस प्रकार का निस्तारण ठेकेदार स्वयं अपने स्तर पर करेगा।
12. संबंधित वित्तीय वर्ष में या समय–समय पर होने वाले सं ाोधन के अनुसार ठेकेदार के देय मासिक बिल में से नियमानुसार आयकर/जी.एस.टी. एवं उस पर लगने वाले सरचार्जेज रा ि की भी कटौती की जावेगी।
13. आकस्मिक अवस्था में आवश्यकतानुसार किसी भी अनुबन्धकर्ता को अन्य सेक्टरों का कार्य निर्धारित दरों पर दिया जा सकता हैं।
14. खरगोशों को चराने, सुरक्षा एवं उनकी देखभाल से सम्बन्धित कार्य के अनुबन्ध के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाने पर अनुबन्धकर्ता/उनके प्रतिनिधि स्वयं जिम्मेदार होगें तथा सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाही अपने स्तर पर स्वयं के खर्चे पर करनी होगी। संस्थान द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता क्षतिपूर्ति राशि नही दी जावेगी।
15. कार्य के बिल का भुगतान प्रत्येक माह ठेकेदार द्वारा बिल तीन प्रतियों में पूर्व प्राप्ति रसीद के साथ प्रस्तुत करने पर नि िचत समय अवधि 30–45 दिन में किया जावेगा।
16. ठेकेदार को अनुबन्घ की अवधि में भारत सरकार के प्रचलित श्रमिक कानूनों का पालन करना होगा। भारत सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत समय–2 पर निर्धारित दर से भुगतान करना होगा। श्रमिक को भुगतान करने की जिम्मेदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। यदि भुगतान से सम्बन्धित किसी भी श्रमिक द्वारा कोई वाद/क्लेम प्रस्तुत करने पर माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित की गई राशि का पूर्ण भुगतान करने की जिम्मेदारी भी स्वयं ठेकेदार की होगी। साथ ही बाल श्रमिक कानून का पूर्ण पालन करना होगा।
17. ठेकेदार द्वारा जिन प्रतिनिधियों को अनुबन्ध कार्य हेतु नियुक्त किया जावेगा उनका परिचय–पत्र ठेकेदार द्वारा स्वयं बनाकर फोटोयुक्त परिचय–पत्र अधिकृत अधिकारी (सुरक्षा अनुभाग) से जारी करवाकर पशु शरीर क्रिया एवं जीव रसायन विभाग में प्रस्तुत करना होगा। परिचय–पत्र का व्यय स्वयं ठेकेदार को वहन करना होगा। प्रतिनिधियों को फोटो पहचान–पत्र आव यक होगा। साथ ही प्रतिनिधियों का नाम, पता व मोबाईल नम्बर इत्यादि प्रभारी को उपलब्ध कराना होगा।
18. आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि अनुबन्ध कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के उपरान्त 6 माह बाद वापिस देय होगी। यदि अनुबन्ध के दौरान आपका कार्य किसी भी प्रकार से असन्तोषजनक पाया गया तो आप द्वारा जमा करवाई गई जमानत रा ि को जब्त कर लिया जावेगा।
19. श्रमिक नियमों के अनुसार समस्त अभिलेख ठेकेदार को तैयार कराना होगा तथा किसी भी अधिकारी द्वारा माँगने पर प्रस्तुत करना होगा।
20. सभी विवादों को निपटाने का क्षेत्राधिकार अविकानगर, मालपुरा होगा। किसी भी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में अन्तिम निर्णय देने का अधिकार निदे ाक केन्द्रीय भेड़ व ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर, तहसील मालपुरा, जिला टोंक, राजस्थान अथवा उनके द्वारा नियुक्त आर्बिट्रेटर को होगा। जिसे दोनों पक्षों द्वारा मान्य होगा।
21. यह कार्य केवल अनुबन्ध की प्रकृति (जॉब कोन्ट्रेक्ट के आधार पर) के लिये ही माना जावेगा। ठेके की अवधि व उसके उपरान्त ठेकेदार अथवा उसके प्रतिनिधि का जॉब कान्ट्रेक्ट कार्य के अतिरिक्त संस्थान से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।
22. सफल ठेकेदार को 500/– रूपये के नॉन ज्यूडि ियल स्टाम्प पेपर पर कार्य को अनुबन्ध पर करने के लिये एग्रीमेन्ट देना होगा, जिसका प्रारूप क्रय अनुभाग से प्राप्त करना होगा।
23. संस्थान के सक्षम अधिकारी महोदय को बिना कोई कारण बताये किसी भी एक/सभी निविदाओं को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

भा.कृ.अ.प.–केन्द्रीय भेड एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, अविकानगर
तहसील–मालपुरा, जिला–टोंक, राजस्थान –304 501

F.No.6(383)SP/2017/ **Dated:16-01-2020**

<u>वित्तीय निविदा प्रपत्र</u>

संस्थान के सेक्टर नं. 9 खरगोश ईकाई पर स्थित खरगोशों की सुरक्षा, देखभाल व सेक्टर की साफ–सफाई से सम्बन्धित कार्य का वार्षिक अनुबन्ध <u>के आधार पर करने की दरें **BOQ** मे प्रस्तुत करें।</u>

दिनांक ————————

हस्ताक्षर ठेकेदार/फर्म प्रतिनिधि मय सील
पूरा पता
टेलीफोन/मोबाईल नं.